

District Registry Office, Patna

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 8483

RTPS No.:-
030118281002208960

चूंकि श्री HARRY KRISHNA ROY ALIAS HARI KRISHNA ROY & OTHERS ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2008 से ता० 30/01/2014 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला है-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं	पृष्ठ तक	वर्ष
1	PATNA SADAR	PHULWARI	BHUSHOLA DANAPUR (40)	11	487 (P)	67 DECIMAL		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवधार का पता नहीं चला है।
निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम -Harendra Kumar Singh
Record Keeper

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम -Asha Sinha
UDC

कार्यालय - District Registry Office, Patna

तारीख - 07-09-2022

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।

टिप्पणी-

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।)
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण-पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवधारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- .8661 दिनांक:- 07/09/2022

भाखा प्रबंधक HDFC LTD. PATNA के पत्र दिनांक 06/09/2020 के आलोक में प्रेषित

यह एक कम्प्युटर जनित प्रति है तथा इसपर हस्ताक्षर आवश्यक नहीं हैं।